7.4.14

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–शिवपुरी

निग. 501-III-14

विजयसिंह पुत्र स्व शिवराजसिंह राजपूत, निवासी ग्राम मनियर, तहसील व जिला शिवपुरी (म.प्र.) --- आवेदक

विरूद्ध

1. शेरसिंह पुत्र श्री महाराजसिंह, निवासी – ग्राम मनियर, तहसील व जिला शिवपुरी, (म.प्र.)
2. श्रीमती रामवती पत्नि श्री बाबूलाल ओझा, निवासी ग्राम महरोनी, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी हाल निवास नैशनल पार्क कॉलोनी, बिन्ना नाका शिवपुरी (म0प्र0)
3. मध्य प्रदेश शासन,

---- अनावेदकगण

**न्यायालय तहसीलदार शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/अ–3 /2013–2014 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह निगरानी निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

**मामले के संक्षिप्त तथ्य :**

1. यह कि, आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र भू–राजस्व संहिता की धारा 70 के अन्तर्गत बंटाकन बावत् प्रस्तुत किया था, जिसमें निवेदन किया गया था कि भूमि सर्वे क्रमांक 382/1 मिन 1 व 382/2 मिन 1 एवं 382/2 मिन 5 रकवा क्रमशः 0.038 हैक्टेयर, 0.060. हैक्टेयर एवं 0.017 हैक्टेयर स्थित ग्राम मनियर पटवारी हल्का नम्बर 63, तहसील व जिला शिवपुरी में स्थित है। नक्शें में भूमि का बंटवारा एवं अक्स (नक्शा में) बंटाकन नहीं हुआ है इस कारण भूमि का उपयोग करने में परेशानी होती है, अतः भूमि का बंटाकन किया जाये।
2. यहकि, विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार शिवपुरी के समक्ष अनावेदिका क्रमांक 2 श्रीमती रामवती द्वारा आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी. एवं धारा 3 भू–राजस्व के तहत प्रस्तुत किया कि स्वर्गीय शिवराजसिंह के मुख्त्यारआम अनावेदक क्रमांक 1

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 501 /III/ 2014 जिला शिवपुरी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 7.4.2014 | यह निगरानी तहसीलदार शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 5 अ–3/13714 में पारित आदेश दिनांक 6–1–14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2/ आवेदक के अभिभाषक के निगरानी प्रारंभिक तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।<br>3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि तहसीलदार शिवपुरी के समक्ष प्रचलित प्रकरण कमांक 5 अ–3/13714 में आवेदक ने व्यवहार प्रकिया संहिता एंव संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन दिया है तथा अनावेदकों की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं जिन्हें तहसीलदार ने प्रकरण में नस्ती करने के आदेश दिये हैं तथा पटवारी से स्थल निरीक्षण मंगाने हेतु प्रकरण आगे की तिथि में लगाया है।<br>4/ तहसीलदार की आदेश पत्रिका 6–1–14 के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार ने पटवारी से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मांगने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है तथा आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता एंव संहिता की धारा 32 के अंतर्गत दिया गया आवेदन एंव अनावेदकों की | |

ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण में नस्ती (संलग्न) करने के आदेश दिये है इस प्रकार की कार्यवाही से किसी प्रकार के विनिश्चय अथवा निर्णय की स्थिति का बोध नहीं होता है ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने यह निगरानी तहसील न्यायालय के प्रकरण के निराकरण में विलम्ब के उद्देश्य से की है जो गुणदोष के आधार पर विचार योग्य न पाये जाने अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य